

धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म

प्रपत्र रख्या -43 ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 443 देखिये)

उपकोषागार (नगर बैंकिंग) / बैंक का नाम व शाखा-

एस0बी0आई0मुख्य शाखा देहरादून

1- जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि

2- पता-

3- पंजीकरण राख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या-

(यदि आवश्यक हो)

4- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण

(धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है
तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5- चालान की सकल धनराशि (gross)

6- चालान की निवल (net) राशि

7- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य शीर्षक

लघु शीर्षक उप शीर्षक बौरेवार-शीर्षक धनराशि (अंको में)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 0 | 2 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

| |
|---|
| - |
| - |
| - |

धनराशि (शब्दों में) लिखे मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

सहायक निलब्धक
फर्म सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग) / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या
शब्दों में रूपये

दिनांक..... अंकों में रूपये.....

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उप कोषागार(नॉन बैंकिंग) / बैंक की मोहर

विवरणरोकड़

(धनराशि केवल रूपयों में)

| नोट | संख्या | राशि |
|--------|--------|------|
| 1000X | | |
| 500 X | | |
| 100 X | | |
| 50 X | | |
| 20 X | | |
| 10 X | | |
| 5 X | | |
| 2 X | | |
| 1 X | | |
| रुपये— | | |

बैंक का विवरण संख्या

दिनांक

राशि (₹0)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

टिप्पणी:-

1— जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एंवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आवकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक सेवा खण्ड-2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लेख लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एंवं पूजी लेखों की प्राप्तियाँ) में दराये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रभागित किया जायेगा।

2— जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

3— यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एंवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म

प्रपत्र संख्या -43 ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

उपकोषागार (नोन बैंकिंग) / बैंक का नाम व शाखा—

एस0बी0आई0मुख्य शाखा देहरादून

1— जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि

2— पता—

3— पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या

(यदि आवश्यक हो)

4— जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण

(धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है
तथा विस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5— चालान की सकल धनराशि (gross)

6— चालान की निवल (net) राशि

7— लेखा—शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप गुख्य शीर्षक लघु शीर्षक उप शीर्षक बीरेवार—शीर्षक धनराशि (अंको में)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

| | |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

| |
|---|
| — |
| — |
| — |

धनराशि (शब्दों में) रूपये मात्र

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग) / बैंक के प्रयोगार्थ
दिनांक अंकों में रूपये

चालान संख्या
शब्दों में रूपये

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उप कोषागार(नॉन बैंकिंग) / बैंक की मोहर

विवरण-रोकड़

(धनराशि केवल रूपयों में)

| नोट | संख्या | राशि |
|----------|--------|------|
| 1000X | | |
| 500 X | | |
| 100 X | | |
| 50 X | | |
| 20 X | | |
| 10 X | | |
| 5 X | | |
| 2 X | | |
| 1 X | | |
| रोमांग:- | | |

बैंक का विवरण

संख्या

दिनांक

राशि (रु0)

टिप्पणी:-

1— जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आवकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक सेवा खण्ड-2 के अनुसार लेखाशीर्षक पुनर्दित कराना उचित होगा । अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लेख लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूजी लेखों की प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ।

2— जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा ।

3— यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णाकृत कर धनराशि जमा की जायेगी ।

धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म

प्रपत्र संख्या -43 ए(1)
(प्रस्तर 317 एवं 443 देखिये)

उपकोषागार (गैंग बैंकिंग) / बैंक का नाम व शाखा—

एस0बी0आई0मुख्य शाखा देहरादून

1— जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि

2— पता—

3— पंजीकरण राख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या

(यदि आवश्यक हो)

4— जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण

(धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है
तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

5— चालान की सकल धनराशि (groos)

6— चालान की निवल (net) राशि

7— लेखा—शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य शीर्षक लघु शीर्षक उप शीर्षक व्यौरेवार—शीर्षक धनराशि (अंको में)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

| | |
|---|---|
| — | — |
| — | — |
| — | — |
| — | — |

| | |
|---|---|
| — | — |
| — | — |

धनराशि (शब्दों में) लिखें मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

सहायक निबन्धक
फर्मसोसाइटी एवं विद्युत
देहरादून

चालान संख्या
शब्दों में लिखे।

केवल उपकोषागारों (गॉन बैंकिंग) / बैंक के प्रयोगार्थ
दिनांक अंकों में लिखे।

विवरणरॉकड

(धनराशि केवल रूपयों में)

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप कोषागार(गॉन बैंकिंग) / बैंक की मोहर

| नोट | संख्या | राशि |
|-------|--------|------|
| 1000X | | |
| 500 X | | |
| 100 X | | |
| 50 X | | |
| 20 X | | |
| 10 X | | |
| 5 X | | |
| 2 X | | |
| 1 X | | |
| योग:- | | |

बैंक का विवरण संख्या

दिनांक

राशि (₹)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

टिप्पणी:-

1— जिन विभागों में आधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाप्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक सेवा खण्ड-2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा । अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लेख लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूँजी लेखों की प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रभागित किया जायेगा ।

2— जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा ।

3— यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी ।